न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

अपील सं0 67/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रामकरण सैनी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा जिला दौसा ..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा मुकदमा नंबर 45/2017 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2017

उपस्थित: 1.श्री दुर्गाप्रसाद सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 10.07.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है। प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान द्वारा प्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार की दिनांक 16.02.2017 को जांच की जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 27.02.2017 को अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संख्या 45/2017 दर्ज कर 90 दिन के लिए डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया व अपीलांट डीलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 86/09.05.2017 पुलिस थाना नांगल राजावतान में दर्ज करायी गई एवं डीलर को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब अपीलांट द्वारा समस्त वास्तविक तथ्यों व दस्तावेजात सहित जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा विधि विधान के विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके निर्णय पारित फरमाया जो प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दुकान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने व पॉश मशीन से वितरण करने एवं थोक विक्रेता द्वारा की गई गेहूँ की आपूर्ति का मिलान करने पर उन्होंने 17 क्वि. 27 किग्रा. गेहूँ कम बताया था जो गलत है। क्योंकि थोक विक्रेता द्वारा दिये गये बिल नम्बर 382 अगस्त माह का 17 क्वि. 79किग्रा तथा सितम्बर माह का 67 क्वि. 57 किग्रा गेहूँ कुल 90 क्वि. 96 किग्रा. गेहूँ थोक विक्रेता द्वारा 17 अगस्त 2016 को उपलब्ध करवाया गया था। जिसको डीलर द्वारा अगस्त माह की अवांटित मात्रा

17 क्वि. 79 किग्रा. में से 17 क्वि. 27 किग्रा. अगस्त माह में ही उपभोक्ताओं को रसद विभाग द्वारा प्रमाणित रजिस्टर व पॉश मशीन से वितरण कर दिया गया था और रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा 01.09.2016 से पॉश मशीन के वितरण की जांच की गई थी। इसलिए यह 17 क्वि. 27 किग्रा. गेहूँ विभाग की वितरण की जांच में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए यह 17 क्वि. 27 किग्रा. गेहूँ विभाग की जांच में कम पाया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने स्थिति की अनदेखी कर अपना निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।उभोक्ताओं द्वारा राशन सामग्री न मिलने बाबत बताया गया है, उन सभी उपभोक्ताओं ने अपने अपने शपथ पत्र रसद अधिकारी दौसा के समक्ष पेश कर दिये गये। किन्तु इन शपथ पत्रों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपीलांट द्वारा अपनी दुकान कभी बन्द नहीं रखी गई है। बल्कि सरपंच ग्राम पंचायत खवारावजी द्वारा उचित मूल्य दुकान पर जबरदस्ती ताला लगाये जाने के कारण दुकान बन्द करायी गई, जिस पर जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर दुकान खुलवाई गई। ऐसी स्थिति में जब दुकान मौके पर ही बन्द थी तो वितरण करते हुए पाये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दुकान के बाहर ई– एनएफएसए सूची एवं अन्य वांछित सूचनाओं का प्रदर्शन किया हुआ था। किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर दुकान के ताले लगाते हुए सभी सूचनाओं का ब्योरा मिटवा दिया गया था। ऐसी स्थिति में आरोप निरस्तनीय है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दुकान बन्द किये जाने की स्थिति में मौके पर दिनांक 16.02.2017 एवं 13.04.2017 को प्रार्थी द्वारा राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया। जब वितरण ही नहीं किया जा रहा था, तो प्रार्थी पॉश मशीन से पर्ची कैसे दे पाता। इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया। निर्णय में अंकित क्रम सं. 3,8,11,12,16,19 पर अंकित राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह गेहूँ एवं चीनी उपलब्ध करवायी गई, शेष क्रम संख्या 1,2, 4 से 7 एवं 9 से 10, 13,14,15,17,18 तक के उपभोक्ताओं के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है। इसलिए उक्त उपभोक्ताओं की सामग्री प्रार्थी द्वारा थोक विक्रेता से प्राप्त नहीं की गई। इसकी जानकारी मौके पर ग्राम पंचायत के सरपंच को दे दी गई। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्राप्त सामग्री का नियमानुसार वितरण किया गया है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। राजनैतिक द्वेषता के कारण सरपंच द्वारा असत्य तथ्यों पर शिकायत की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत खवारावजी तहसील नांगल राजावतान के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामकरण सैनी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान द्वारा दिनांक 16.02.2017 मौके पर जाकर की गई तथा 27.02.2017 को कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा में प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 27.02.2017 को डीलर के प्राधिकार पत्र को निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए 90 दिन के लिए निलम्बित किया गया एवं गम्भीर अनियमितताओं के कारण कार्यालय के पत्रांक 1158 दिनांक 20.04.2017 द्वारा दोषी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रवर्तन निरीक्षक को निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना नांगल राजावतान में एफआईआर नम्बर 86/09.05.2017 दर्ज करवायी गई। डीलर द्वारा की गई अनियमितताओं बाबत दिनांक 18.04.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जांच में निम्न अनियमितताऐं पायी गई:–

1. वक्त जांच उचित मूल्य दुकान बन्द पायी गई। मौके पर सरपंच ग्राम पंचायत व डीलर से सम्पर्क कर दुकान खुलवाकर सरपंच ग्राम पंचायत व डीलर के भाई श्री बाबूलाल सैनी द्वारा उचित मूल्य दुकान में रखी राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करवाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. उक्त दुकान के बाहर ई–एनएफएसए सूची व अन्य वांछित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया।
3. उपभोक्ताओं को वितरित राशन सामग्री की पॉश मशीन की प्रिन्टेड पर्ची नहीं दिया जाना पाया गया।
4. प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान द्वारा दिनांक 13.04.2017 को उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की विस्तृत जांच किये जाने पर केरोसीन वितरण के समय पॉश मशीन में एनएफएसए उपभाक्ताओं के अंगूठे लगवाकर अंगूठा मिलान नही करना बताकर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री गेहूँ से वंचित रखा जाकर कुल 2290 किग्रा गेहूँ का दुरूपयोग किया गया।
5. वक्त जांच दिनांक 16.02.2017 को दुकान में रखी सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में मिली राशन सामग्री का उचित मूल्य दुकानदार को थोक विक्रेता द्वारा माह सितम्बर 2016 से 16.02.2017 तक आपूर्ति की गई की गेहूँ व चीनी की मात्रा व पॉश मशीन से वितरित मात्रा से मिलान करने पर स्टॉक में 1727 किग्रा गेहूँ तथा 2.85 किग्रा चीनी कम पाई गई। इस प्रकार (2290+1727) कुल 4017 किग्रा गेहूँ व 2.85 किग्रा. चीनी का दुरूपयोग किया गया है।

डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, 9, 11, 17सी, 18 व खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार डीलर द्वारा केरोसीन वितरण के समय पॉश मशीन में एनएफएसए उपभोक्ताओं के अंगूठे लगवाकर अंगूठा मिलना नहीं करवाकर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री गेहूँ से वंचित रखा जाकर 2290 किग्रा. गेहूँ व 2.85 किग्रा. चीनी का दुरूपयोग करने के, पॉश मशीन प्रिन्टेड पर्ची उपभोक्ताओं को नहीं दिये जाने एवं विभागीय निर्देश/नियमानुसार राशन सामग्री का वितरण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सन्तोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर डीलर द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official